F. No. 19046/1/2008-E.IV Ministry of Finance Department of Expenditure E- IV Branch

New Delhi, the 15th July, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding re-imbursement of LTC-80 fare.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No.7(1)/ E. Coord/ 2008 dated 4-12-2008 wherein Air India's LTC 80 scheme was introduced from 1st December, 2008, for LTC travelers entitled to travel by Air. A number of references from different Government Departments/ offices have been received in this Ministry seeking clarification whether the prevailing fare on the date of booking of LTC 80 tickets is to be reimbursed or claim is to be restricted to Air India's LTC 80 fare as on 1 December, 2008.

 The matter has been considered in this Ministry and it is clarified that the fare paid on the date of booking of ticket under LTC 80 scheme of Air India may be reimbursed.

Under Secretary to the Govt. of India

अ) किसाए तक सीमित ख्वा जाना है।

To,

- 1. All Ministries / Departments of the Government of India, etc.
- 2. All Financial Advisers.

फा . सं. 19046/1/2008- संस्था IV वित्त मंत्रालय लाइटा way व्यय विभाग संस्था IV शाखा

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एल.टी.सी. 80 किराए की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को 4.12.2008 के इस विभाग के का. ज्ञा. सं. 7(1)/संस्था समन्वय/2008 का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जिसमें विमान से यात्रा हेतु पात्र एल.टी.सी. यात्रियों के लिए 1 दिसम्बर, 2008 से एअर इंडिया की एल.टी.सी.80 स्कीम शुरू की गई थी। इस मंत्रालय को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/कार्यालयों से अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या एल. टी.सी. 80 की टिकटों की बुकिंग की तारीख को प्रचलित किराए की प्रतिपूर्ति की जानी है अथवा दावे को 1 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया के एल. टी.सी. 80 किराए तक सीमित रखा जाना है।

2. मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एअर इंडिया की एल. टी.सी. 80 स्कीम के अंतर्गत टिकट की बुंकिंग की तारीख को अदा किए गए किराए की प्रतिपूर्ति की जाए।

अवर सचिव, भारत सरकार

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- सभी वित्तीय सलाहकार।